निग0 6495/2018/शहडोल/भू.रा0

न्यायालय में, श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश कैम्प कोर्ट रीवा म0प्र0।

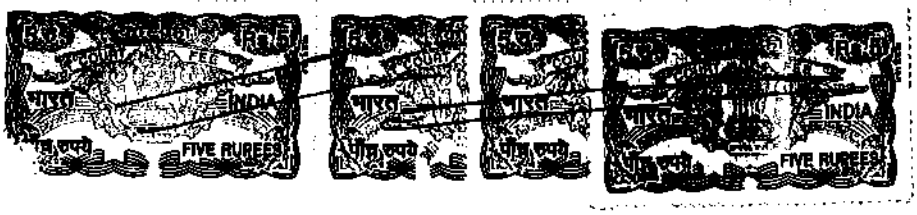

हेमचंद जैन उम्र 75 साल पिता स्व0 रतनचंद जैन निवासी वार्ड क्रमांक-10, बुढ़ार, थाना एवं तहसील बुढ़ार जिला - शहडोल (म0प्र0)

-- आवेदक/ निगरानीकर्ता

// बनाम //

कमलचंद जैन उम्र 60 वर्ष पिता स्व0 रतनचंद जैन निवासी वार्ड क्रमांक-10 बुढ़ार, थाना एवं तहसील बुढ़ार जिला- शहडोल (म0प्र0)

-- अना0/ गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0।

===

विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय शहडोल संभाग शहडोल जिला- शहडोल (म0प्र0) के रा0प्र0क्र0 94/ अपील/2017-2018 आदेश दिनांक 17.12.18

===

अधि0 श्री महेन्द्र कुमार ... 19-12-18

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :-

1- यहकि, आराजी खसरानं0-303 रकबा 0.405हे0, अंश रकबा 27x142वर्गफिट जो कि ग्राम बुढ़ार तहसील बुढ़ार, जिला- शहडोल (म0प्र0) आराजी है जो आवेदक/ निगरानीकर्ता को जरिये बंटवारा हिस्साबांट मे मिली है व जिस पर अना0 द्वारा मकान निर्मित करने हेतु निर्माण सामग्री एकत्रित कर मकान निर्माण आरंभ कर दिया व मना करने पर लड़ाई झगड़ा के लिये आमादा है जिसके विरूद्ध बेदखली हेतु धारा 250, 250(3) म0प्र0 भू रा0सं0 1959ई0 का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बुढ़ार जिला- शहडोल (म0प्र0) के समक्ष प्रस्तुत किया व जिस पर अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बुढ़ार जिला-

//2//

हेमचन्द

(122) (173)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.-6495/2018/शहडोल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-19	आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/12/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। आवेदक अभिभाषक द्वारा यह निगरानी समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किये जाने अनुरोध किया गया है। अतः यह प्रकरण समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	